भारत सरकार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096



Government of India Ministry of Commerce & Industry SEEPZ Special Economic Zone Authority Andheri (E), Mumbai - 400096

वेबसाइट: www.seepz.gov.in | ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in | टेलीफोन: 022-28290856/28294700

कार्यकारी आदेश संख्या/ Executive Order No 243 /2025

महाराष्ट्र कारखाना नियम 1963 के नियम 87 के साथ कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 48(1) के अनुसार, प्रत्येक कारखाना जिसमें 50 (पचास) से अधिक महिलाएं सामान्य रूप से कार्यरत हैं, उन्हें ऐसी महिलाओं के छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के उपयोग के लिए उपयुक्त कमरा या कमरे बनाए रखने की आवश्यकता होती है।

महाराष्ट्र दुकान और स्थापना (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 के अध्याय V की धारा 23 के अनुसार प्रत्येक प्रतिष्ठान में जिसमें 50 (पचास) या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां ऐसे श्रमिकों के बचों के उपयोग के लिए क्रेच सुविधा प्रदान की जाएगी और उसका रखरखाव किया जाएगा।

- 2. उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, सीप्ज एसईजेड की जिन इकाइयों में 50 से अधिक कर्मचारी हैं, उन्हें अपनी महिला कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से क्रेच सुविधा प्रदान करनी होगी। यदि आपकी इकाई इकाई परिसर में क्रेच सुविधा प्रदान करने की स्थिति में नहीं है, तो उस स्थिति में, आपकी इकाई सीप्ज एसईजेड प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सामान्य क्रेच सुविधा का लाभ उठा सकती है।
- 3. वर्तमान में, इकाइयां डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से लागू शुल्क जमा करके ऑफ़लाइन मोड में क्रेच सुविधा के लिए आवेदन करती हैं। इसके बाद, SEEPZ प्राधिकरण सामान्य क्रेच सुविधा का लाभ उठाने के लिए एक भौतिक प्रमाण पत्र जारी करता है, जिसे इकाई धारकों को महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य और सुरक्षा विभाग के निदेशक को प्रस्तुत करना आवश्यक है। हालाँकि, मौजूदा मैन्अल सिस्टम में मानवीय संपर्क और इकाई

As per Section 48(1) of the Factories Act, 1948 read with Rule 87 of Maharashtra Factories Rules 1963, every factory wherein more than 50 (Fifty) women are ordinarily employed, they are required to maintain a suitable room or rooms for the use of children under age of six years of such women.

As per The Maharashtra Shop, and Establishment (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2017, Chapter V Section 23 in every establishment wherein more than 50 (fifty) or more workers are employed there Creche Facility shall be provided and maintained a suitable room or rooms as creche for the use of children of such workers

- 2. In terms of the above provisions units of SEEPZ SEZ having more than 50 workers in their factory/Unit shall mandatorily provide creche facility to your female employees. In case your unit is not in a position to provide creche facility in the Unit premises, then in that case, your unit can avail the common creche facility provided by SEEPZ SEZ Authority
- 3. At present, units apply for the crèche facility in offline mode by submitting the applicable charges through Demand Draft. Subsequently, the SEEPZ Authority issues a physical certificate for availing the common crèche facility, which the unit holders are required to submit to the Director, Health and Safety Department, Government of Maharashtra. However, the existing manual system requires

प्रतिनिधियों द्वारा शारीरिक दौरे की आवश्यकता होती है, जिससे केंद्रीकृत रिकॉर्ड बनाए रखना और समग्र क्रेच सुविधा उपयोग की निगरानी करना मुश्किल हो जाता है। यह प्रक्रिया उपयोगकर्ताओं के लिए असुविधा का कारण भी बनती है।

4. मौजूदा मैनुअल सिस्टम की सीमाओं को संबोधित करने के लिए, RISe ERP प्लेटफ़ॉर्म के तहत एक ऑनलाइन एप्लिकेशन विकसित किया गया है और अब इसे SEEPZ SEZ द्वारा लागू किया जा रहा है। SEEPZ SEZ के सभी हितधारकों को सूचित किया जाता है कि अब से क्रेच सुविधा से संबंधित सभी प्रक्रियाएँ - जिसमें आवेदन, भुगतान, प्रमाण पत्र जारी करना, बच्चों का पंजीकरण और समग्र प्रबंधन शामिल है - केवल RISe ERP पोर्टल (https://rise.seepz.gov.in) के माध्यम से संचालित की जाएँगी। यह ऑनलाइन मॉड्यूल पिछली ऑफ़लाइन प्रक्रियाओं को पूरी तरह से बदल देता है, जिससे पारदर्शिता, पहुँच में आसानी और क्रेच सुविधा उपयोग की कुशल निगरानी बढ़ जाती है।

5. क्रेच सुविधा का विवरण:

- क) स्थान: बीएफसी बिल्डिंग, सीप्ज एसईजेड का ग्राउंड फ्लोर
- ख) शुल्कः समय-समय पर तय अनुसार।
- ग) भुगतान का तरीका: केवल ईआरपी मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन। एसईईपीजेड प्राधिकरण द्वारा कोई डीडी/चेक/एनईएफटी स्वीकार नहीं किया जाएगा घ) इकाई के लिए आवेदन प्रारंभ तिथि: पिछले वित्तीय वर्ष की 1 मार्च।

नोट:

- इकाइयां किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए केवल उस वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि तक ही क्रेच सुविधा के लिए आवेदन कर सकती हैं और उसका लाभ उठा सकती हैं।
- II. वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और उस संबंधित वित्तीय वर्ष के

increased human interaction and physical visits by unit representatives, making it difficult to maintain a centralized record and monitor the overall crèche facility utilization. This process also causes inconvenience to users.

4. To address the limitations of the existing manual system, an online application has been developed under the RISe ERP platform and is now being implemented by SEEPZ SEZ. All stakeholders of SEEPZ SEZ are hereby informed that, henceforth, all processes related to crèche facility — including application, payment, issuance of certificates, registration of children, and overall management - shall be conducted exclusively through the RISe (https://rise.seepz.gov.in). This ERP portal online module fully replaces the previous procedures, offline thereby enhancing transparency, ease of access, and efficient monitoring of crèche facility utilization.

5. Details of the creche facility:

- a) Location: Ground Floor of BFC Building, SEEPZ SEZ
- b) Charges: As amended from time to time.
- c) Mode of payment: Online through the ERP module only. No DDs/ Cheques/ NEFT will be accepted by SEEPZ Authority
- d) Application Start date for unit: 1st march of previous financial year.

Note:

- Units may apply and avail the crèche facility for any financial year only until the last date of that financial year.
- ii. Post closure of the financial year, applications will not be accepted, and no certificate will be issued for that respective financial year.

लिए कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

6. सीप्ज एसईजेड की इकाई

क्रेच सुविधा का लाभ उठाने के लिए आवेदन प्रक्रिया

ए. इकाइयों के लिए:

चरण 1: क्रेच प्रबंधन मॉड्यूल तक पहुँचना

- 1. rise.seepz.gov.in पर जाएँ।
- 2. अपने क्रेडेंशियल के साथ लॉग इन करें और क्रेच प्रबंधन मॉड्यूल पर जाएँ।

चरण 2: क्रेच सुविधा के लिए आवेदन करें

- 1. वित्तीय वर्ष चुनें।
- 2. "आवेदन करें" पर क्लिक करें और भुगतान लिंक जनरेट होने के बाद कर्मचारी विवरण सबमिट करें।
- 3. भुगतान आरंभ करें पर क्लिक करें।
- 4. भुगतान विधि चुनें- ऑनलाइन/चालान

भुगतान के सफल समापन के बाद, इकाई क्रेच प्रमाणपत्र देख और डाउनलोड कर सकती है।

ए. बचों का पंजीकरण

- 1. कर्मचारी स्वयं अपने बच्चे के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि कर्मचारी को कोई कठिनाई हो तो वे अपने बच्चे के पंजीकरण के लिए क्रेच संचालक से संपर्क कर सकते हैं।
- 2. क्रेच संचालक बच्चों का पंजीकरण करेगा और सभी आवश्यक विवरण दर्ज करेगा, केवल आरआईएसई ईआरपी मॉड्यूल में उपस्थिति बनाए रखेगा।
- 3. ऐसे मामलों में जहां संबंधित इकाई ने क्रेच सुविधा के

6.Unit of SEEPZ SEZ

Application Procedure to avail creche facility

A. For Units:

Step 1: Accessing Crèche Management Module

- 1. Visit rise.seepz.gov.in.
- Log in with your credentials and navigate to the Crèche Management Module.

Step 2:Apply for creche Faciliity

- 1. Select the financial year.
- 2. Click on "**Apply**" and submit the employee details there after payment link will be generated.
- 3. Click on Initiate Payment.
- 4. Choose the payment method on-line/challan.

After the successful completion of payment, the unit can view and download the Crèche Certificate.

B. Registration of Children

- 1. Employee herself can apply for her child registration online. If employee has any difficulty, then they can approach creche operator for their child registration.
- 2. Creche Operator shall register the children and enter all required details, maintain attendance in the RISe ERP Module only.

लिए पहले से पंजीकरण नहीं कराया है, किसी कर्मचारी द्वारा बच्चे के पंजीकरण पर, आरआईएसई ईआरपी प्रणाली स्वचालित रूप से संबंधित इकाई को भुगतान अधिसूचना तैयार करेगी और भेजेगी। इकाई को इस आदेश की धारा 6(ए) के तहत चरण 2 के खंड 3 और 4 में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके भुगतान करना होगा।

ए. ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग

1. संपदा अधिकारी या एसईईपीजेड का कोई अन्य अधिकृत अधिकारी सभी विवरण देख सकता है और रिपोर्ट डाउनलोड कर सकता है।

इस ऑर्डर के साथ एक विस्तृत उपयोगकर्ता पुस्तिका संलग्न है। किसी भी प्रश्न या प्रशिक्षण आवश्यकताओं को प्रबंधित करने के लिए एक समर्पित सहायता इकाई स्थापित की गई है। उपयोगकर्ताओं की भूमिकाएँ अनुलग्नक-ए में उपलब्ध हैं।

यदि हितधारकों को किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो उन्हें RISe सिस्टम में सक्षम तकनीकी हेल्पडेस्क पर टिकट उठाना चाहिए। इससे SEEPZ प्राधिकरण को मुद्दों और किसी भी लंबित मामले को ट्रैक करने और निगरानी करने में मदद मिलेगी।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है। 3. In cases where a concerned Unit has not registered for the crèche facility in advance, upon registration of a child by an employee, the RISe ERP system will automatically generate and send a payment notification to the concerned Unit. The Unit shall be required to make the payment by following the procedure outlined in Clauses 3 and 4 of Step 2 under Section 6(A) of this Order.

C. Tracking and Monitoring

1. Estate officer or any other authorised officer of SEEPZ can view all details and download reports.

A detailed user manual is enclosed with this order. There is a dedicated support unit set up to manage any queries or training requirements. The roles of Users are available in Annexure-A.

In case stakeholders face any difficulty, they should raise tickets on the Technical Helpdesk enabled in the RISe system. This will help the SEEPZ Authority track and monitor the issues and any pendency as well.

This issues with the approval of Competent Authority.

Digitally signed by Mital Sudhir Hiremath (Mi**phHiron**adn)-2025 संयुक्त विकास आयुक्त /**1:615**%**:58**pment Commissioner, सीप्ज सेज, मुंबई /SEEPZ SEZ, Mumbai

OI | 01 | 2025 Date:#ApprovedDate#

F.No.: SEEPZ-SEZ/E-OPT-11/76/2022-IT/COMP/ 46/44

प्रतिलिपि/ Copy to:

- 1. सभी अधिकारी/कर्मचारी/ All Officers/Staff Members
- 2. विआका/संविआका/उविआका/विआ/ DCO/JDCO/DDCO/SO
- 3. कार्यालय आदेश फ़ाइल / रजिस्टर/ Office Order file/register
- 4. सीप्ज वेबसाइट/ SEEPZ Website
- 5. नोटिस बोर्ड/ Notice Board
- 6. ईआरपी टीम/ ERP Team

Annexure A

Roles of Users in Creche Management Module:

User	Roles in Module
Development Commissioner	a) View Dashboard
	b) Generate Reports
	c) View of Units who have availed creche
	facility
	d) View of Unit employees who have
	registered for creche facility
Joint Development Commissioner	a) View Dashboard
	b) Generate Reports
	c) View of Units who have availed creche
	facility
	d) View of Unit employees who have
	registered for creche facility
Deputy Development Commissioner	a) View Dashboard
	b) Generate Reports
	c) View of Units who have availed creche
	facility
	d) View of Unit employees who have
	registered for creche facility
Assistant/ UDC/LDC of Labour Division	a) Provision to verify the employee details
	submitted by Units
	b) Initiate annual notification to Units
· .	
Assistant Development Commissioner, Estate	a) View Dashboard
	b) Generate Reports
	c) View of Units who have availed creche
	racinty
	d) View of Unit employees who have
	registered for creche facility
Unit	a) Submit employee details
	b) Make payment
	c) Download Creche Certificate
NGO	a) Register the child
	b) Mark attendance of children
	c) Generate Attendance Report